UPLK010165722022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

सत्र वाद संख्या–2062 / 2022

राज्य बनाम सत्यम शुक्ला

अपराध संख्या–400 / 2022
धारा–376डी,504,506 आईपीसी
धारा 3(2)5 एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट
थाना–मड़ियांव, जिला–लखनऊ।

दिनांक–13.01.2025

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी / अभियुक्त सत्यम शुक्ला द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मय आदेश माननीय उच्च न्यायालय दिनांकित 14.08.2024 के प्रकाश में सुना गया।

स्थानीय थाना–मड़ियांव, जिला–लखनऊ की पुलिस द्वारा अभियुक्त सत्यम शुक्ला के विरूद्ध आरोप पत्र अ0सं0 400 / 2022 धारा– 376डी, 313, 34, 504, 506 आईपीसी व धारा 3(1)10 एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट में पंजीकृत किया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार किया तथा गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया।

विवेचनोपरांत विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 400 / 2022 में अभियुक्त सत्यम शुक्ला के विरूद्ध धारा– 376डी, 504, 506 आई.पी.सी. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।

दौरान विचारण अभियुक्त **सत्यम शुक्ला** की तरफ से मा0 उच्च न्यायालय में **आवेदन अंतर्गत धारा 482 नं0 3558 / 2024 सत्यम शुक्ला बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य** दाखिल किया गया, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दि0 14.08.2024 को सत्र परीक्षण संख्या 2062 / 2022 अ0सं0 400 / 2022 धारा– 376डी, 504, 506 आई.पी.सी. व धारा 3(1)10 एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट थाना–मालिहाबाद जनपद लखनऊ की कार्यवाही को quash करने का आदेश पारित किया गया है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश कुमार मिश्र)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

दिनांकः 15–01–2025

शैलेन्द्र, स्टेनो